

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 06/2017

अनवान :

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. सम्पत | } | पुत्रान बीरबल जाति जाट निवासीगण अमरपुरा
तहसील भादरा |
| 2. महेन्द्र उर्फ छोदुराम | | |
| 3. विजयसिंह | } | पिसरान दलसुखराम जाति जाट निवासीगण अमरपुरा
तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। |
| 4. रिशालसिंह | | |
| 5. वीरसिंह | | |
| 6. धर्मपाल | | |
| 7. प्रताप | | |

- वादीगण

बनाम

1. महाबीर प्रसाद पुत्र सन्तुराम जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
2. राजेश पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासीगण अमरपुरा तहसील
2(क) जगदीश
2(ख) रामसिंह
2(ग) महेन्द्र उर्फ छोदुराम
2(घ) सम्पत
2(च) सरजीत पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
2(च 1) लीलावती पत्नी स्व. सरजीत जाति जाट निवासी अमरपुरा।
2(च 2) सतीश पुत्र सरजीत जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
2(च 3) मुकेश पुत्र सरजीत जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
3. रामसिंह } पुत्रान बीरबलराम जाति जाट निवासीगण अमरपुरा तहसील
4. किरसन } भादरा।
5. विमला पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक डाबड़ी।
7. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक भिरानी।
8. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा तहसील भादरा।
9. मरुधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक जोगीवाला तहसील भादरा।
10. आईसीआईसीआई, बैंक जरिये शाखा प्रबंधक सिकरोड़ी तहसील भादरा।
11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन बर बिनाय शहादत हर

किस्म के आधार पर अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए.

उपस्थिति : वकील श्री सुनिल बैनीवाल : वादीगण

वकील श्री पूनमचन्द - प्रतिवादी सं० 1

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

निर्णय

दिनांक :

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रौही मौजा सुरतपुरा के खाता नं. 165/159 के मु.न. 56 के किला नं. 4/1 की 0.2280 हैक्टर, किला नं. 5, 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 सम्पूर्ण कुल किता 10 की 2.5050 हैक्टर बारानी मु.न. 57 के किला नं. 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 22 सम्पूर्ण कुल किता 11 की 2.7830 हैक्टर बारानी मु.न. 79 के किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 19, 20 कुल किता 8 की 2.0240 हैक्टर बारानी मु.न. 80 के किला नं. 4 ता 6 सम्पूर्ण किला नं. 7/1 की 0.2280 हैक्टर किला नं. 14/1 की 0.1900 हैक्टर किला नं. 15, 16 सम्पूर्ण किला नं. 17/1 की 0.1900 हैक्टर कुल किता 8 की 1.8730 हैक्टर बारानी कुल खसरा 37 की 9.8150 हैक्टर बारानी वादीगण व प्रतिवादी नं. 2 ता 5 की मुश्तर्का खाता की व मुश्तर्का कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिसमें वादीगण नं. 1 व 2 व प्रतिवादी नं. 2 ता 4 का 5/4 हिस्सा, वादी नं. 3, 4, 5, 7 का 4/10 हिस्सा, वादी नं. 7 का 6/35 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 5 का 1/14 हिस्सा खातेदारी दर्ज है का खाता व लगान अलग कायम करवाने एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद पेश किया था जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा वादीगण का निषेधाज्ञा के प्रयोजन से वाद वादी खारिज किया जाकर प्रतिवादी सं० 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया गया तथा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मुताबिक कब्जा काश्त पक्षकारान के हिस्सानुसार विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया था जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट सम्पत आदि ने एक अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय अपील अधिकारी ने अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.01.2019 को निरस्त कर पत्रावली विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की, कि प्रकरण में उपरोक्त नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अच्छी मंदी के हिसाब से पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव मंगवा कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

पत्रावली पेश हुई वादीगण की ओर से अधिवक्ता सुनील बैनीवाल ने वकालतनामा पेश किया। उभय पक्षकान को सुना गया। तहसीलदार राजस्व भादरा को नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अच्छी मंदी के हिसाब से पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार राजस्व भादरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुई जिस पर पक्षकारान को सुना गया। वकील प्रतिवादी श्री पूनमचन्द वर्मा ने विभाजन प्रस्ताव पर अनापत्ति जताते हुए अपने हस्ताक्षर किये। इस प्रकार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी :-

1. विजयसिंह रिशाल सिंह वीरसिंह धर्मपाल पि० दलसुख 3.674 है० प्रताप वल्द दलसुख 1.575 है० विमला पत्नि जगदीश 0.656 है० रामसिंह छोटूराम उर्फ महेन्द्र सम्पत किरसन पि० बीरबलराम 2.747 है० जगदीश कमला सुमित्रा कृष्णा पि० बीरबलराम 0.123 है० लीलावती पत्नि सरजीत 0.030 है० कौम जाट सा० अमरपुरा बारानी खातेदार राहिन प्रताप हि० एसबीबीजे शाखा भिरानी विजयसिंह हि० एसबीबीजे शाखा डाबडी रिशालसिंह वीरसिंह हि० आईसीआईसीआई शाखा बालसमंद रामसिंह सम्पत किरसन 1.968 है० बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा विमला हिस्सा बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा :-

A —————
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा


सम्पत्त आदि बनाम महावीर आदि

ग्राम सुरतपुरा के मु०नं० 56 के किला नं० 4/1 की 0.228 है० किला नं० 5 ता 7 की 0.759 है० किला नं० 14 ता 17 की 1.012 है० किला नं० 24 व 25 की 0.506 है० मु०नं० 57 के किला नं० 1 ता 3 की 0.759 है०, किला नं. 9 ता 12 की 1.012 है० किला नं० 19 ता 22 की 1.012 मु०नं० 79 के किला नं० 1 व 2 की 0.506 है० किला नं० 9 ता 12 की 1.012 है० किला नं० 19 ता 20 की 0.506 है० मु०नं० 80 के किला नं० 4 व 5 की 0.506 है० किला नं० 6 की 0.253 है० किला नं० 7/1 की 0.126 है० किला नं० 15 की 0.253 है० किला नं० 16 की 0.253 है० किला नं० 17/1 की 0.102 है० कुल कित्ता 36 कुल क्षेत्रफल 8.805 है० बारानी

2. महावीर प्रसाद वल्द सन्तुराम जाति कुम्हार सा० देह खातेदार :- ग्राम सुरतपुरा के मु.नं. 80 के किला नं० 7/2 की 0.102 है० किला नं० 14/2 की 0.190 है० किला नं० 17/2 की 0.088 है० कुल कित्ता 3 कुल क्षेत्रफल 0.380 है० बारानी

चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन बैंक यथावत् रखते हुए उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 06/2017

अनवान :

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. सम्पत | } | पुत्रान बीरबल जाति जाट निवासीगण अमरपुरा तहसील भादरा |
| 2. महेन्द्र उर्फ छोटुराम | | |
| 3. विजयसिंह | } | पिसरान दलसुखराम जाति जाट निवासीगण अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। |
| 4. रिशालसिंह | | |
| 5. वीरसिंह | | |
| 6. धर्मपाल | | |
| 7. प्रताप | | |


- वादीगण

बनाम

1. महाबीर प्रसाद पुत्र सन्तुराम जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
2. राजेश पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासीगण अमरपुरा तहसील
2(क) जगदीश
2(ख) रामसिंह
2(ग) महेन्द्र उर्फ छोटुराम
2(घ) सम्पत
2(च) सरजीत पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
2(च 1) लीलावती पत्नी स्व. सरजीत जाति जाट निवासी अमरपुरा।
2(च 2) सतीश पुत्र सरजीत जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
2(च 3) मुकेश पुत्र सरजीत जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
3. रामसिंह } पुत्रान बीरबलराम जाति जाट निवासीगण अमरपुरा तहसील
4. किरसन } भादरा।
5. विमला पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक डाबड़ी।
7. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक भिरानी।
8. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा तहसील भादरा।
9. मरुधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक जोगीवाला तहसील भादरा।
10. आईसीआईसीआई बैंक जरिये शाखा प्रबंधक सिकरोड़ी तहसील भादरा।
11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रेक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री सुनिल बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादी सं० 1 पूनमचन्द वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी :-


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

सम्पत आदि बनाम महावीर आदि पर्चा डिक्री

1. विजयसिंह रिशाल सिंह वीरसिंह धर्मपाल पि० दलसुख 3.674 है० प्रताप वल्द दलसुख 1.575 है० विमला पत्नि जगदीश 0.656 है० रामसिंह छोटूराम उर्फ महेन्द्र सम्पत किरसन पि० बीरबलराम 2.747 है० जगदीश कमला सुमित्रा कृष्णा पि० बीरबलराम 0.123 है० लीलावती पत्नि सरजीत 0.030 है० कौम जाट सा० अमरपुरा बारानी खातेदार राहिन प्रताप हि० एसबीबीजे शाखा भिरानी विजयसिंह हि० एसबीबीजे शाखा डाबडी रिशालसिंह वीरसिंह हि० आईसीआईसीआई शाखा बालसमंद रामसिंह सम्पत किरसन 1.968 है० बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा विमला हिस्सा बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा :- ग्राम सुरतपुरा के मु० नं० 56 के किला नं० 4/1 की 0.228 है० किला नं० 5 ता 7 की 0.759 है० किला नं० 14 ता 17 की 1.012 है० किला नं० 24 व 25 की 0.506 है० मु० नं० 57 के किला नं० 1 ता 3 की 0.759 है०, किला नं० 9 ता 12 की 1.012 है० किला नं० 19 ता 22 की 1.012 मु० नं० 79 के किला नं० 1 व 2 की 0.506 है० किला नं० 9 ता 12 की 1.012 है० किला नं० 19 ता 20 की 0.506 है० मु० नं० 80 के किला नं० 4 व 5 की 0.506 है० किला नं० 6 की 0.253 है० किला नं० 7/1 की 0.126 है० किला नं० 15 की 0.253 है० किला नं० 16 की 0.253 है० किला नं० 17/1 की 0.102 है० कुल किता 36 कुल क्षेत्रफल 8.805 है० बारानी
2. महावीर प्रसाद वल्द सन्तुराम जाति कुम्हार सा० देह खातेदार :- ग्राम सुरतपुरा के मु.नं. 80 के किला नं० 7/2 की 0.102 है० किला नं० 14/2 की 0.190 है० किला नं० 17/2 की 0.088 है० कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 0.380 है० बारानी

चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन बैंक यथावत् रखते हुए उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व. लगान अलग अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ०५.०८.२०१९ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

A ————— P-8-19
(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़